चित्रकूट-पुलिस

(1). अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफास
04 अभियुक्त गिरफ्तार,
चोरी की 14 बाइक, 04 अवैध तमंचे, 08 कारतूस व 08 मोबइल फोन बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना राजापुर की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय बाइक चोर गैंग का पर्दाफास करते हुये 04 चोरों को चोरी की 14 बाइक, 04 तमंचे व 08 कारतूस, 08 मोबाइल फोन व लूट की घटना के 700/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.अंकित सिंह पुत्र स्व0 दिनेश सिंह नि0 ग्राम मऊ थाना मरका जनपद बांदा
2.बउआ सिंह उर्फ सत्यांशु सिंह पुत्र लवकुश सिंह निवासी ग्राम छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
3.उत्तम कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी लुधौरा बरेठी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
4.नवनीत पुत्र बब्बू निवासी ग्राम छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अंकित सिंह का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 78/17 धारा 41/411/413 भादवि0 थाना मरका जनपद बांदा
2.मु0अ0सं0 102/17 धारा 379/411 भादवि थाना ओंग जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 282/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
4.मु0अ0सं0 257/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
5.मु0अ0सं0 169/22 धारा 379/411 भादवि थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
6.मु0अ0सं0 192/22 धारा 379/411 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
7.मु0अ0सं0 72/22 धारा 147,307,34,41,413,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
8.मु0अ0सं0 36/24 धारा 379/411 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
9.मु0अ0सं0 87/24 धारा 392 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
10. मु0अ0सं0 88/22 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
11.मु0अ0सं0 89/24 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
12. मु0अ0सं0 91/2024 धारा 392,379,411,420,467,468,471,413/34 भादवि व 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

अभियुक्त बऊवा उर्फ सत्यांशु सिंह का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 282/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2.मु0अ0सं0 169/22 धारा 379/411 भादवि थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
3.मु0अ0सं0 78/17 धारा 41/411/413 भादवी0 थाना मरका जनपद बांदा
4.मु0अ0सं0 36/24 धारा 379/411 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट

5.मु0अ0सं0 87/24 धारा 392 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
6.मु0अ0सं0 88/22 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
7.मु0अ0सं0 89/24 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
8.मु0अ0सं0 91/2024 धारा 392,379,411,420,467,468,471,413/34 भादवि व 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
9.मु0अ0सं0 72/22 धारा 147,307,34,41,413,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

अभियुक्त उत्तम कुमार का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 282/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2.मु0अ0सं0 36/24 धारा 379/411 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
3.मु0अ0सं0 87/24 धारा 392 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
4.मु0अ0सं0 88/22 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
5.मु0अ0सं0 89/24 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
6.मु0अ0सं0 91/2024 धारा 392,379,411,420,467,468,471,413/34 भादवि व 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

अभियुक्त नवनीत का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 282/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2.मु0अ0सं0 36/24 धारा 379/411 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
3.मु0अ0सं0 87/24 धारा 392 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
4.मु0अ0सं0 88/22 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
5.मु0अ0सं0 89/24 धारा 379 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
6.मु0अ0सं0 91/2024 धारा 392,379,411,420,467,468,471,413/34 भादवि व 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

(1) 14 चोरी की बाइकें
(2) 04 अदद तमंचें 315 बोर
(3) 08 अदद कारतूस 315 बोर
(4) 08 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन (लूट का 01 मोबाइल)
(5) लूट के 700/- रुपये

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान- तुलसी ढ़ाबा के पास पशु बाजार कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट, **दिनाँक** 25.04.2024 **समय-**03:10 बजे

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक राजापुर एवं एसओजी/सर्विलांस प्रभारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा राजापुर स्थित तुलसी ढ़ाबा के पास से अभियुक्त 1.**अंकित सिंह पुत्र स्व0 दिनेश सिंह** निवासी ग्राम मऊ थाना मरका जनपद बांदा 2. **बउआ सिंह पुत्र सत्यांशु सिंह** निवासी ग्राम छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 3.**उत्तम कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद** निवासी लुधौरा बरेठी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।जामा तलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से एक बाइक, 03 अदद तमंचे व 05 अदद कारतूस 315 बोर तथा 07 अदद मोबाइल फोन(01 अदद लूट का मोबाइल फोन) व लूट के 700/- रुपये बरामद किये किये गये। अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछतांछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनाँक 22.04.2024 की रात्रि में उनके द्वारा नगर पालिका कार्यालय से सामने कस्बा राजापुर से एक व्यक्ति के साथ लूट की थी जिसमें 01 एण्ड्रायड मोबाइल व 700/- रुपये लूटे थे। दिनाँक 22.04.2024 को हुयी लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 87/2024 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत है। तत्पश्चात अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वे सब अपने एक साथी नवनीत के साथ मिलकर एक गैंग

बनाकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बाइक सवार की रैकी करके बाइकों को चुराते हैं, हम लोगों ने चोरी की बाइकें पशु मेले के टीन सेड के नीचे अपने साथी नवनीत की देख रेख में छिपा रखीं है। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा पशु मेले के टीन सेड के पास से अभियुक्त नवनीत पुत्र बब्बू निवासी ग्राम छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा व 03 अदद कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा टीन सेड के नीचे से पॉलीथीन से ढ़की हुयी 13 बाइकें बरामद की गयी।

बरामदशुदा बाइकों को ट्रैस कर करने पर जानकारी हुयी कि बुलेट बाइक रजि0 नं0 यूपी0 यूपी0 96 एल 6394 व हीरो होण्डा स्प्लेण्डर बाइक रजि0 नं0 यूपी0 96 बी 4857 कस्बा राजापुर से चोरी की गयीं थी जिनके सम्बन्ध में थाना राजापुर में क्रमशः मु0अ0सं0 88,89/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा बुलेट बाइक रजि0 नं0 यूपी0 96 पी 0101 थाना मऊ क्षेत्र से चुराई थी जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 36/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा हीरो पैशन प्रो बाइक रजि0 नं0 यूपी0 96 ई 3339 जिला अस्पताल सोनेपुर से चोरी की थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 257/2024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया कि हम लोग मिलकर शंकरगढ़ प्रयागराज, बांदा तथा चित्रकूट के विभिन्न क्षेत्रों से बाइकों को चुरा कर उनके चेचिस नम्बर घिसकर/रगड़ कर उनके नम्बर प्लेट बदल कर उन्हें बेंच देतें है जो भी रुपया मिलता है आपस में बांट लेते हैं।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामदगी के सम्बन्ध में उपरोक्त सभी मुकदमों में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अन्य बाइकों की बरामदगी एवं अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 91/2024 धारा 392,379,411,420,467,468,471,413/34 भादवि व 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

एसओजी/सर्विलांस टीम

1.प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एम.पी त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3.आरक्षी रोहित सिंह
4.आरक्षी आशीष यादव
5.आरक्षी रोशन सिंह
6.आरक्षी गोलू भार्गव
7.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

थाना राजापुर की पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार
2.निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार
3.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स
4.उ0नि0 श्री इमरान खान
5.उ0नि0 यूटी श्री अखिलेश सिंह यादव
6.मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार
7.आरक्षी लवकुश यादव
8.आरक्षी उज्ज्वल पाण्डेय
9.आरक्षी प्रकाश मिश्रा
10.आरक्षी वीरपाल
11.आरक्षी शुभम मिश्रा

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 25.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया

गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 50 लीटर कच्ची व 25 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(क).उ0नि0 यूटी0 श्री दिव्याश पाण्डेय थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.अजमत पुत्र शफूर 2.दीनदयाल पुत्र भगवानदीन निवासीगण वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20-20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60आबाकरी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर पुत्र जगलाल सोनकर निवासी गुइयांपुरवा कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ग).उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना भरतकूप तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र रामजियावन त्रिपाठी निवासी टिटिहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब क साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोर को 48 घण्टे के अन्दर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 22.04.2024 को श्री नीरज कुमार पुत्र रामलाल निवासी कोठिलहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि एक व्यक्ति ने मारवाड़ी ढ़ाबा बेड़ी पुलिया से मेरी हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 96 एच 7652 चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 277/2024 धारा 379 भादवि

पंजीकृत किया गया। कल दिनाँक 24.04.2024 को चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये वाहन चैकिंग के दौरान यूपीटी तिराहा सीतापुर से अभियुक्त प्रशांत सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी वंशीपुर भैसोंधा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी की हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 96 एच 7652 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

प्रशांत सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी वंशीपुर भैसोंधा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी की हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 96 एच 7652

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी
2.आरक्षी अभिषेक
3.आरक्षी रविशंकर

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा 16 घण्टे के अन्दर बोलेरो चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये एक चोर को चोरी की बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.04.2024 को समय शाम 16.02 बजे श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रामगुलाम निवासी राजकीय महाविद्यालय के पास बेड़ी पुलिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति ने रैन बसेरा सीतापुर के सामने से उनकी बोलेरो कार रजि0 नं0 यूपी0 यूपी0 96 बी 6701चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 281/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 25.04.2024 को समय लगभग सुबह 08.00 बजे चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये वाहन चैकिंग के दौरान बेड़ी पुलिया आगे गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय के पास बैरियर से अभियुक्त विकास यादव पुत्र उमाशंक यादव निवासी शास्त्री रोड महादेवन मंदिर गंगापुर कालोनी थाना बिधानु जनपद कानपुर नगर को चोरी की बोलेरो कार रजि0 नं0 यूपी0 96 बी 6701के साथ गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त द्वारा बोलेरो की नम्बर प्लेट में छेड़छाड़ कर दी गयी थी कि कोई पहचान न पाये। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी की बोलेरो बरामदगी, नम्बर प्लेट में की गयी छेड़छाड़ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411,420 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

विकास यादव पुत्र उमाशंक यादव निवासी शास्त्री रोड महादेवन मंदिर गंगापुर कालोनी थाना बिधानु जनपद कानपुर नगर

बरामदगीः-

चोरी की बोलेरो कार रजि0 नं0 यूपी0 96 बी 6701

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी
2.उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य
3.आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह
4.आरक्षी रवि शंकर

(6). आज दिनाँक 25.04.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन तथा नारकोटिक्स के संबंध में बैठक जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला अधिकारी ने शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया कि आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कुछ केश चिन्हित कर उस पर

कार्यवाही करें । उन्होंने टॉप टेन अपराधियों के गवाहों के संबंध में कहा कि उनको संमन देकर प्रगति कराएं एवं जेष्ठ अभियोजन अधिकारी को निर्देशित भी किये कि इसकी मॉनिटरिंग करते रहें। पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि संबंधित लिपिक बाबू फाइलों में आनाकानी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया कि फाइलों में क्या कमी है इस पर भी विचार कर प्रगति कराए। उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि आप लोगों को सरकारी पद पर रखा है कि मुकदमों में कमी कराएं आप लोग हर मीटिंग में बहाना बनाते हैं ऐसे कार्य नहीं होगा। उन्होंने पॉस्को एक्ट के संबंध में कहा कि पहले आप लोग लिस्ट बनाकर कार्य करते थे जिसमें प्रगति होती रही उसी तरह से कार्य करें। जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि किसी प्रकार की समस्या है तो बताएं आप लोग कार्य योजना बनाकर कार्य करें तो प्रगति हो पाएगी। बैठक में एससी/ एसटी एक्ट, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, आईपीसी धारा, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य अधिनियम, समन तामीला, गवाहों की उपस्थिति, जमानत, एनडीपीएस एक्ट आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री पंकज वर्मा,उपजिलाधिकारी मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, जेष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री रमेश सिंह, जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेंद्र सिंह, जिला खनिज अधिकारी श्री सुधाकर सिंह सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी वह शासकीय अधिवक्ता उपस्थित थे।